>

Title: Need to abolish excise tax, Tax collected at Source and reduce customs duty on non-branded gold jewellery.

डॉ.िनर्मल खत्री (फैजाबाद): इस बार प्रस्तुत बजट (वर्ष 2012) में सर्राफा व्यवसाय के कई स्तरों पर कर आरोपित किये गये हैं, जिसको लेकर सर्राफा व्यवसाय से जुड़े कारीगरों व व्यापारियों में आक्रोश है। यह लोग एक लंबे समय तक हड़ताल पर भी रहे। सैंकड़ों वर्षो से भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों विशेषतया पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात आदि राज्यों के लाखों कारीगर स्वर्ण आभूषण निर्माण के कुटीर उद्योगों से जुड़े हुए हैं, जो इनके जीविकोपार्जन का एकमात्र सहारा है। कर की जटिलताओं के चलते इनके कामकाज बाधित होंगे और इनके समक्ष रोजी–रोटी का संकट पैदा हो जायेगा।

प्रस्तावित नई व्यवस्था से स्मगलिंग जैसी देश समाज विरोधी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा, जो सर्राफा व्यवसाय एवं देश के लिए अहितकारी है। साथ ही एक्साइज ड्यूटी के दायरे में लाकर सरकारी सर्राफा व्यवसायियों को विभागीय शोषण का अवसर देगी जिससे राजस्व की प्राप्ति तो कम होगी लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ेगा।

भारतवर्ष में स्वर्ण एवं चांदी के आभूषणों को जहां एक ओर देशी संस्कृति में महिलाओं के सुहाग एवं सौन्दर्य का पूरक माना जाता है, वहीं दूसरी ओर इसको चल सम्पति के रूप में भी आवश्यकता पड़ने पर इसको बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत भी किया जा सकता है। ऐसी आवश्यक वस्तु पर इतना कर लगाकर आम महिलाओं से इससे दूर रखना देश की महिलाओं के लिए हितकारी नहीं है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं को संज्ञान में लेते हुए लाखों सर्राफा व्यवसायियों, स्वर्ण आभूषण कुटीर उद्योग से जुड़े कारीगरों एवं जनता को ध्यान में रखकर नान ब्राण्डेड ज्वैलर्स पर एक्साइज टैक्स को हटाया जाए, टीसीएस को समाप्त किया जाए तथा कस्टम ड्यूटी घटायी जाये।